

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-1012-औस/2013-11(30)ए०एस०/2004

दिनांक 14 अप्रैल, 2013

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन द्वारा अपने सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मिकों व उनके आश्रितों एवं पारिवारिक पेंशनरों को हृदय रोग की शल्य क्रिया, एन्जियोग्राफी आदि के उपचार की सुविधा क्रेडिट के अन्तर्गत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित दरों पर "मेट्रो हास्पिटल एवं हार्ट इन्सटीट्यूट, 47/जी०-5, बाउन्ड्री रोड, लालकुर्ती, मेरठ कैन्ट-250001 एवं धनवन्तरी जीवन रेखा लिमिटेड, 1, साकेत, मेरठ-250003" को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान की जाती है। क्रेडिट सुविधा के अन्तर्गत उपचार एवं उपचार से सम्बन्धित बीजकों के भुगतान हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या-2800-औस/2012-11(30)ए०एस०/2004 दिनांक 21.09.2012 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार प्रभावी होगी:-

- 1- क्रेडिट सुविधा के अन्तर्गत हृदय रोग से सम्बन्धित उपचार हेतु कर्मिक/उस पर आश्रित रोगी कारपोरेशन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार हेतु निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) नियन्त्रक / सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर चिकित्सालय में प्रस्तुत करेंगे।
- 2- प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) के साथ आवश्यक सत्यापित प्रमाण पत्र जैसे सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अथवा पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की छायाप्रति आदि एवं पहचान पत्र तथा आश्रित के सम्बन्ध में आश्रित प्रमाण पत्र एवं पुत्र/पुत्री का आयु का प्रमाण पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3- कर्मिक के आश्रित माता पिता का उपचार व चिकित्सा कराने के मामलों में पहचान पत्र तथा कारपोरेशन के आदेश संख्या - 6163-औस-17/पाकालि/03, दिनांक 05.01.2004 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कारपोरेशन के कर्मिक द्वारा आश्रित के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाओं सहित घोषणा पत्र शपथ पत्र पर देना अनिवार्य होगा।
- 4- प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) निर्गत करने वाले नियन्त्रक/सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मिक/पेंशनर के पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण प्राधिकार पत्र के साथ प्रमाणित कर प्रेषित करना होगा।
- 5- इलाज पूर्ण हो जाने पर चिकित्सालय प्रबन्धक द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कर्मिक के फोटो हस्ताक्षरों सहित अधिकृत चिकित्सक से सत्यापन उपरान्त बीजक के साथ कारपोरेशन (मु०) को उपलब्ध कराया जायेगा।

Not Mathu
4.4.13

- 6- अस्पताल प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलाज के बीजक में अदेय सामग्री जैसे विटामिन, टानिक आदि बीजक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सामग्री मरीज से स्वयं के व्यय पर खरीदकर मंगाई जा सकती है।
- 7- उपचार के उपरान्त अस्पताल से अवमुक्त होने पर रोगी को आवश्यक होने पर अधिकतम 15 दिन की दवायें चिकित्सालय द्वारा अनुमन्य करायी जायेगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में प्रथक रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा।
- 8- चिकित्सा व्यय क्रेडिट भुगतान एवं प्रतिपूर्ति के दावे मात्र उन्ही कार्मिकों व पेंशनर्स के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन में भुगतान हेतु स्वीकार किये जायेंगे, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों यथा पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर के अन्तर्गत वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- 9- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा अन्य निगम की सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड अथवा इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों से पेंशन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है उनके मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति/क्रेडिट बीजक का दावा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान हेतु स्वीकार/अनुमन्य कराया जायेगा।
- 10- ऐसे कार्मिक जो वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के स्तर से वेतन अथवा पेंशन का आहरण कर रहे हैं, उनके क्रेडिट चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।
- 11- सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं फ़ैमिली पेंशनर के चिकित्सा व्यय एवं प्रतिपूर्ति के प्रकरण उन्ही इकाईयों/खण्डों से निस्तारित किये जायेंगे जिन इकाई/खण्ड से वे पेंशन प्राप्त करते हैं।
- 12- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के मरीजों, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के क्रेडिट बीजकों (जिसमें पैकेज दरों पर उपचार तथा इम्प्लान्ट आदि सम्मिलित हैं) पर अस्पताल द्वारा 4% विशेष छूट देनी होगी।

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्या: 1012- (1) औस/2013-11(30)ए0एस0/04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

Naf Mathur
14.4.13

- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉय समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- उपमहाप्रबन्धक (औस)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (लेखा शाखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची एवम् चिकित्सा दरों को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु
- 15- महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- प्रबन्धक, मैट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, 47/जी०-5, बाउन्ड्री रोड, लालकुर्ती, मेरठ-250001 को निर्धारित प्राधिकार पत्र एवं अनिवार्यता प्रमाण पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए।
- 17- प्रबन्धक, धनवन्तरी जीवन रेखा लिमिटेड, 1, साकेत, मेरठ-250003 को निर्धारित प्राधिकार पत्र एवं अनिवार्यता प्रमाण पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए।
- 18- कट फाइल।

Nat Mathur
(नवनीत माथुर) 4.4.13
कार्मिक अधिकारी